

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट प्रतापगढ़।

## प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयंसेवक योजना (पी०एल०वी०) के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ हेतु जनपद प्रतापगढ़ में विभिन्न स्थानों पर कार्य किये जाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों को नामित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक जिनके खिलाफ कोई दण्डिक वाद लम्बित न हो और न ही किसी वाद में दण्डित हुये हों तथा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता धारित करते हों आवेदन कर सकते हैं—

**कौन आवेदन कर सकता है—**

ऐसे व्यक्ति महिला/पुरुष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वांछित वर्गों के उत्थान में रूचि रखते हैं तथा उनके कार्य करना चाहते हैं। इनमें शिक्षक, (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, छात्र गैर सरकारी संगठन, एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रूचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक समझे। पूर्व में चयनित पराविधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं, उन्हें वरियता प्रदान की जायेगी।

**पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य—**

पराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता विधिक सहायता, के लिये पीड़ित एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकरण, के प्रबन्ध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सौंपा जायेगा को करना है।

**आरक्षण—**

क्योंकि पराविधिक स्वयं सेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है, तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है।

अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु योजना के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

**शैक्षिक योगिता— 10 पास**

आवेदक विहित प्रापत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षिक एवं अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र की स्वाप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के कार्यालय में हाथों हाथ या पंजीकृत डाक दिनांक **23.04.2022** तक भेज सकते हैं।

**नोट—** पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य के लिये कोई वेतन, परिश्रमिक या मजदूरी समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के द्वारा तय किये मानदेय के अलावा नहीं होता है।

आवेदक अपने कार्य करने की रूचि जिला स्तर, तहसील स्तर, या ग्राम स्तर, पर कार्य करने की इच्छा या वरीयता दर्शाये।

**सामान्य अनुदेश—**

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छा चरित्र का हो तथा समाज सेवा में रूचि रखता हो।


आवेदन भेजने का पता — कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट प्रतापगढ़।

दिनांक: 16.04.2022

(नीरज कुमार त्रिपाठी)  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
प्रतापगढ़।

पराविधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. लिंग.....
5. आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न की जायें).....
6. मोबाइल नं०.....
7. पता.....
8. शैक्षिक अर्हताएं (समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जायें)
9. अन्य योग्यता एवं अनुभव (यदि हो तो).
10. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई दण्डित कार्यवाही विचाराधीन है या दण्डित हुये हो?  
यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण, यदि नहीं तो शपथपत्र संलग्न किया जाये—



मैं.....एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं.....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ में पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बिना किसी आर्थिक लाभ के पराविधिक स्वयं सेवक के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई दण्डित वाद लम्बित नहीं है। और न ही किसी न्यायालय द्वारा दण्डित हुआ हूँ।

दिनांक:

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर